बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (गया) 02–143/2023– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–7050/रा0, दिनांक–02.11.2023 द्वारा **श्री सुधीर तिवारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शेरघाटी, गया** के विरूद्ध रैयतो के मूल जमाबंदी में छेड़छाड़ कर दाखिल–खारिज की स्वीकृति दिए जाने, अपने पद का दुरूपयोग करते हुए संविदा अमीन को राजस्व कर्मचारी का प्रभार देने, मूल जमाबंदी को छेड़छाड़ कर दाखिल–खारिज की स्वीकृति के कुकृत्य को छुपाने के लिए दूसरे हल्का के प्रभार में रहने वाले राजस्व कर्मचारी को निलंबित करने के अनुशंसा करने, क्षतिग्रस्त जमाबंदी के पुनर्गठन के संबंध में विभागीय प्रवधानों के अनदेखी करने, जमाबंदी दर्ज करते समय भू–अभिलेख एवं खतियान का सत्यापन नहीं करने, दाखिल–खारिज आवेदनों के निष्पादन में आवेदक को सूचना तामिला कराते हुए साक्ष्य की मांग नहीं करने, महादलित परिवारों के बीच वितरित भू–हदबंदी भूमि का दाखिल–खारिज स्वीकृत करने, एक ही भूमि का एक बार दाखिल–खारिज़ स्वीकृत करने तथा दूसरी बार अस्वीकृत किये जाने तथा लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, उदासीनता एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में चूक करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–180(15), दिनांक–05.02.2024 द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री तिवारी द्वारा अंचल कार्यालय–घोषी, जहानाबाद के पत्रांक–406 दिनांक–27.02.2024 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–701(15) दिनांक–12.04.2024 द्वारा समाहर्त्ता, गया से मंतव्य की मांग की गयी, जो अप्राप्त रहा।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं होने एवं आरोप की प्रकृति गंभीर होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–2035(15) दिनांक–12.09.2024 द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, गया को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, प्रभारी विभागीय जाँच, गया के पत्रांक–696/वि0जाँच दिनांक–30.06.2025 द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप सं0–02, 03, 05, 06 एवं 07 को प्रमाणित पाया गया एवं आरोप सं0–01, 04 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–1715(15) दिनांक–12.09.2025 से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री तिवारी द्वारा कार्यालय अंचल अधिकारी, घोषी, जहानाबाबद के पत्रांक–1657 दिनांक–25.09.2025 से द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया।

5. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री तिवारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में पद का दुरूपयोग कर विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए लापरवाही, उदासीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है यथाः– मूल जमाबंदी में छेड़छाड़ कर दाखिल–खारिज की स्वीकृति दी गई है, क्षतिग्रस्त जमाबंदी के पुनर्गठन के संबंध में विभागीय प्रावधानों की अनदेखी की गई है, जमाबंदी दर्ज करते समय भू–अभिलेख एवं खतियान का सत्यापन नहीं किया गया है, बगैर उच्चाधिकारी के आदेश के संविदा अमीन को राजस्व कर्मचारी का प्रभार दिया गया है, दाखिल–खारिज आवेदनों के निष्पादन के क्रम में आवेदक को सूचना तामिला कराते हुए साक्ष्य की मांग नहीं की गई है, एक ही भूमि का एक बार दाखिल–खारिज स्वीकृत एवं दूसरी बार अस्वीकृत किया गया है, गैरमजरूआ भूमि का बिना किसी सक्षम प्राधिकार या न्यायालय के आदेश के नाजायज धनराशि लेकर ऑनलाईन जमाबंदी कायम कराकर लगान रसीद निर्गत की गई है. गैर–मजरूआ खाते की भूमि का दाखिल–खारिज स्वीकृत किया गया है, व्यक्तिगत लाभ लेते हुए षडयंत्र के तहत महादलित परिवारों के बीच वितरित भू–हदबंदी भूमि को अपने चहेते व्यक्तियों के नाम से निबंधित दस्तावेज के द्वारा बिक्रय कराकर दाखिल–खारिज हेतु स्वीकृति दी गई है, अनावाद बिहार सरकार की भूमि की जमाबंदी कायम की गई है और इन सब के लिए जबावदेह कारक के रूप में आरोपी पदाधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन/अनुशंसा को आधार बनाते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य से विमुख होने का प्रयास किया गया है। साथ ही संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन कर देने मात्र से आरोपी पदाधिकारी का पदीय उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता है। यदि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों / राजस्व संबंधी कार्यों का समुचित ढ़ंग से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया गया होता तो शायद उक्त चूक नहीं हो पाती। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त चूक की गई है। वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

7. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुधीर तिवारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शेरघाटी, गया **सम्प्रति अंचल अधिकारी, घोषी, जहानाबाद** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–संमय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 15/आरोप (गया) 02–143/2023–499(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–08/04/2026

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, गया को उनके पत्रांक–7050/रा0, दिनांक–02.11.2023 के प्रसंग में/समाहर्त्ता, जहानाबाद/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया एवं जहानाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्री सुधीर तिवारी, अंचल अधिकारी, घोषी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

स्पीड–पोस्ट / ई–मेल

08/04/26

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Sudhir kr. tiwari (CO_sherghati_gaya)_संचयी प्रभाव के बिना 1.doc